


वार्षिक लेखा

2017-18



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,

कोर- IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट: www.ncrpb.nic.in



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
(विषय सूची)

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरणिका	पृष्ठ सं.
1	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	i-v
2	तुलन पत्र	1
3	आय-व्यय खाता	2
4	प्राप्ति तथा भुगतान खाता	3-4
5	अनुसूची 1 से 16	5-14
6	31.03.2018 को बनाए गए तुलन-पत्र में संलग्न महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची-17)	15-18
7	31.03.2018 को बनाए गए तुलन-पत्र पर आकस्मिक देयताओं तथा लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची-18)	19-23



गोपनीय

संख्या / No.

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

दिनांक/Dated

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110001

विषय- वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 2017-18 के प्रमाणित वार्षिक लेखों की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं का शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेजों की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए जाए, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भेजी जाएं।

भवदीया

अनुलग्नक: यथोपरि

हस्ता०
(प्राची पाण्डेय)
प्रधान निदेशक
दिनांक:- 6/12/18

संख्या:- CHQ-1/HQ/NCRPB/A/Acs/1-108/2018-19/981

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, प्रथम तल, कोर- IVB, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु एक प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि

प्राची पाण्डेय
6.12.18
(प्राची पाण्डेय)
प्रधान निदेशक

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Capital Region Planning Board for the year ended 31 March, 2018

We have audited the attached Balance Sheet of National Capital Region Planning Board (NCRPB) as at 31 March 2018 and Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account for the year ended on that date under section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 25 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985. These financial statements are the responsibility of the NCRPB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosures norms, etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (ii) The financial Statements dealt by this report **are not** drawn up in the uniform format prescribed by the Ministry of Finance.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Capital Region Planning Board as required under Section 33 (1 and 2) of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

(A) Significant Accounting Policies (Schedule 17)

(1) In compliance to its Accounting Policy 1(c), NCRPB is bifurcating its Receipts and Payments Account and Schedules pertaining to its Income and Expenditure Account in Capital and Revenue. This is inconsistent with the uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance.

(2) Accounting Policy No. 3 states that "All expenses are recognized on accrual basis, except employee's personal claims/reimbursements, which are taken on cash basis. The above accounting policy is inconsistent with the accrual concept of accounting and the uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance. This point was commented by C&AG in the Separate Audit Report for the financial year 2016-17, but no corrective action has been taken by the management.

(B) Grants-in-Aid

During 2017-18, NCRPB has received Grants-in-Aid (Capital) of ₹ 50 crore, (Salary and General) ₹4.70 crore and (RRTS Study) ₹0.34 crore from Ministry of Housing and Urban Affairs. NCRPB utilized the entire Grants-in-Aid received during the year (as per utilization certificate submitted by the management).

(C) Management Letter

Deficiencies, which have not been included in the Separate Audit Report, have been brought to the notice of the Member Secretary, NCRPB through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/ Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Capital Region Planning Board as at 31 March 2018; and

- b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Prachi Pandey
6.12/15/111

(Prachi Pandey)

Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member Audit Board-I,
New Delhi.

Place: New Delhi

Dated: 6 December 2018

ANNEXURE TO SEPARATE AUDIT REPORT

(on the annual accounts of National Capital Region Planning Board (NCRPB) for the year ended on 31 March 2018)

1. Adequacy of Internal Audit System

There is no sanctioned post of internal auditor in NCRPB. The Internal Audit done by CA Firm did not provide any assurance regarding the adequacy and effectiveness of internal control over financial reporting. The internal audit plan was not based on risk analysis and assessment.

2. Adequacy of Internal Control System

Following deficiencies were observed in internal control system of NCRPB:

- a. No Audit committee is being formed to supervise its financial reporting process.
- b. There is no mandatory e-payment gateway as payment of loans to State Governments is being made through cheques.
- c. There is no Whistle Blower Policy in NCRPB.
- d. Till 2017-18 there was no system of entering into MoU with Administrative Ministry.
- e. There is no operational, financial and accounting manual or standard operating procedure for effective accounting and control.
- f. There are no prescribed, documented and approved key performance indicators.
- g. There is no risk assessment policy in NCRPB.
- h. There is no approved fraud detection and prevention policy.
- i. NCRPB has not prepared any flow chart listing steps in various operations, procedures and activities which were specific to its working.
- j. During the year 2017-18 only one meeting of NCRPB Board was held inspite of NCRPB Rules, 1985 prescribing for atleast two Board meetings in a year.

3. System of Physical Verification of Fixed Assets

No physical verification of fixed assets was carried out by NCRPB during 2017-18.

4. System of Physical Verification of Inventory

Physical verification report and its reconciliation thereof on the NCR books and publications was not furnished to Audit.

5. Regularity in payment of statutory dues

NCRPB is regular in payment of statutory dues.



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2018 के अनुसार तुलन पत्र

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कोष/पूंजी निधि और देयताएँ			
रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पूंजी निधि)	1	48038828070	40724441448
विशेष आरक्षित	2	0	3790000000
निर्धारित/बंदोबस्ती (एंडोमेंट) कोष	3	1400	1400
सुरक्षित ऋण	4	0	5000000000
असुरक्षित ऋण	5	8161751011	7899382202
स्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं एवं प्रावधान	6	494120535	1256067194
योग		56694701016	58669892244
परिसम्पत्तियाँ			
अचल परिसम्पत्तियां	7	7434905	7331821
भविष्य निधि/एनपीएस का निवेश	8	324162267	183865076
एन.सी.आर.टी.सी. में योगदान-निवेश	9	50000000	50000000
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	10	56313103844	58428695347
विविध खर्च (बट्टे खाते न डाली गई या समायोजित न की गई मात्रा तक)		0	0
योग		56694701016	58669892244
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	17		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	18		

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.3.2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि ₹ में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद		तुलन पत्र में अंतरित	तुलन पत्र में अंतरित
अनुदान/इमदाद (वेतन एवं अन्य)		47000000	44000000
शुल्क और अभिदान		0	0
निवेश द्वारा निर्धारित/बंदोबस्ती (एंजोमेंट) निधियों से आय		0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनों की बिक्री से आय		1350	2925
अर्जित ब्याज	11	3694089612	3865834281
अन्य आय	12	555627448	623933660
तैयार माल के रहतिया (स्टॉक) में वृद्धि/कमी और कार्य में प्रगति		(11553)	(3375)
योग (क)		4296706857	4533767491
व्यय			
स्थापना व्यय	13	192086247	203327243
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	14	20669292	19257868
बाज़ार ऋण पर व्यय	15	1056270326	346976843
मूल्यहास अनुसूची 7 के अनुरूप		1488900	1437034
अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान पर व्यय		0	118790000
योग (ख)		1270514765	689788988
व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष (क-ख)		3026192092	3843978503
पूर्व अवधि व्यय	16	1805470	2278972
बांड रिडम्प्शन रिज़र्व (बी.आर.आर.) में अंतरित		1210000000	1029900000
उप योग		1211805470	1032178972
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो.निधि में अंतरित		1814386622	2811799531
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	17		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	18		

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	कुल	पूँजी	आय	कुल	पूँजी	आय
I. आरम्भिक शेष						
क) हाथ में रोकड़	13303	13303	0	31172	31172	0
ख) बचत खाते में शेष	5706126076	5706126076	0	4766019440	4766019440	0
ग) भविष्य निधि बचत खाते में शेष	1535736	1535736	0	4348443	4348443	0
घ) (एनपीएस) बचत खाते में शेष	838	838	0	798	798	0
उप योग	5707675953	5707675953	0	4770399853	4770399853	0
II) प्राप्त अनुदान						
क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से	547000000	500000000	47000000	544000000	500000000	44000000
ख) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से आर.आर.टी.एस. अध्ययन के लिए	3363371	3363371	0	24226500	24226500	0
III) निवेश पर आय (पीएफ/एनपीएस व सेवानिवृत्ति लाभ निधि)						
क) बचत खाते पर ब्याज	90080	0	90080	594837	0	594837
ख) भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति निधि पर ब्याज	3109160	0	3109160	1944921	0	1944921
IV) प्राप्त ब्याज						
क. राज्य सरकारों/एजेंसियों को दिए ऋण पर ब्याज	2125286613	2125286613	0	1333795847	1333795847	0
ख. बचत बैंक	79228526	79228526	0	80290920	80290920	0
ग. बैंक जमा पर	1487086645	1487086645	0	2447634470	2447634470	0
V अन्य आय						
क. रा.रा.क्ष. प्रकाशनों की ब्रिकी	1350	1350	0	2925	2925	0
ख. विविध प्राप्तियाँ	100	0	100	0	0	0
ग. सूचनाधिकार (आर.टी.आई.) शुल्क	3523	0	3523	4816	0	4816
घ. परिसंपत्तियों की ब्रिकी/निपटान	0	0	0	6000	6000	0
ङ. भर्तों के लिए आवेदन शुल्क	7700	0	7700	2900	0	2900
च. आयकर वापसी	0	0	0	0	0	0
छ. आयकर वापसी पर ब्याज	0	0	0	0	0	0
ज. स्टाफ को दिए गए ऋण पर ब्याज	232323	0	232323	208895	0	208895
झ. संपत्ति की ब्रिकी पर लाभ	0	0	0	0	0	0
ण. पुराने समाचार पत्र की ब्रिकी	1240	0	1240	3100	0	3100
ट) ऋण पर पूर्व भुगतान शुल्क	3302159	3302159	0	0	0	0
VI) उधार ली गई धनराशि						
क) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण	0	0	0	0	0	0
ख) के.एफ.डब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय) से ऋण	438000000	438000000	0	2861555260	2861555260	0
VII) अन्य प्राप्तियाँ						
क) राज्य सरकारों द्वारा ऋण की वापसी	3542055743	3542055743	0	4746951039	4746951039	0
ख) ऋण पर अधिक वापसी	122055	122055	0	140358	140358	0
ग) भुनाई गई सावधि जमा	63237000000	63237000000	0	102139100000	102139100000	0
घ) भविष्य निधि/एन.पी.एस. निवेशों की परिपक्वता	175877126	0	175877126	151730652	0	151730652
ङ) बयाना राशि/ जमानत राशि	0	0	0	0	0	0
च) स्टाफ से अग्रिम की वसूली	1012579	0	1012579	1745078	25724	1719354
छ) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	901968	0	901968	979525	0	979525
ज) जी.आई.एस. धनराशि की वसूली/एलआईसी से प्राप्तियाँ	25526	0	25526	44109	0	44109
झ) जी.पी.एफ. अंशदान/अग्रिम/वापसी	5445600	0	5445600	4856500	0	4856500
ण) एन.पी.एस. वसूली	529455	0	529455	697172	0	697172
ट) रा.रा.क्ष.यो. बोर्ड द्वारा स्रोत पर कर कटौती	4182132	0	4182132	5766350	261694	5504656
ड) संगोष्ठी (सेमिनार) और प्रशिक्षण अग्रिम/शुल्क की वापसी	0	0	0	115249	115249	0
ड) स्टाफ कार के प्रयोग से सम्बंधित वसूली	8209	8209	0	9943	9943	0
ड) अवकाश वेतन एवं सेवानिवृत्ति योगदान	18032	0	18032	62466	0	62466
कुल	77361567168	77123130624	238436544	119116869685	118904515782	212353903

ह/-
सहायक निदेशक (वित्त) डीडीओ

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

Contd...P/4

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान

भुगतान	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	कुल	पूँजी	आय	कुल	पूँजी	आय
I. व्यय						
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 13 और 19 के अनुरूप)	90125317	33357439	56767878	84561329	32481577	52079752
ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 14 और 20 के अनुरूप)	19339071	9437281	9901790	19644724	8917950	10726774
ग) बाजार उधारी पर व्यय (अनुसूची 15 के अनुरूप)	682993499	682993499	0	653171740	653171740	0
II. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) को प्रदान किया गया ऋण	16954296000	16954296000	0	16544808000	16544808000	0
III. किए गए निवेश और जमा						
क) एन.सी.आर.टी.सी. में समता पूँजी (इक्विटी) योगदान	0			0	0	0
ख) सावधि जमा (एफ.डी.आर.) में निवेशित राशि	53087000000	53087000000	0	90630000000	90630000000	0
ग) भविष्य निधि/एनपीएस/सेवानिवृत्त लाभ	304634342	0	304634342	155600000	155600000	0
घ) अन्य - बीआरआर	0			3790000000	3790000000	0
IV. अचल परिसंपत्तियों पर व्यय						
क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद	1506618	1506618	0	527405	527405	0
V. राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि/ऋणों की वापसी	0	0	0	0	0	0
VI. ऋणों और अग्रिमों का भुगतान						
क) स्टाफ को विविध अग्रिम	1055405	0	1055405	1597529	0	1597529
ख) जी.पी.एफ. से अग्रिम/आहरण	3314605	0	3314605	6661034	0	6661034
ग) प्रशिक्षण एवं सम्मेलन अग्रिम	51578	51578	0	192649	192649	0
घ) किसी अन्य को अग्रिम	7134168	0	7134168	4988348	0	4988348
VII. अन्य भुगतान						
क) रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के बांडों का विमोचन	5000000000	5000000000		1349000000	1349000000	0
ख) मूलधन की वापसी (ए.डी.बी. ऋण)	848035663	848035663		71857480	71857480	0
ग) अतिरिक्त प्राप्तियों की वापसी	0	0	0	0	0	0
घ) बयाना/सुरक्षा जमा	0	0	0	0	0	0
ङ) उधारकर्ता अभिकरणों (एजेंसियों)/बैंकों द्वारा सौत पर कर कटौती	49130413	49130413	0	75843081	75843081	0
च) सामूहिक बीमा योजना राशि का भुगतान	27821	0	27821	59981	0	59981
छ) रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड द्वारा जमा कराया गया टीडीएस	28828204	25056835	3771369	4320019	261694	4058325
ज) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	978100		978100	1049419	0	1049419
झ) नई पेंशन योजना के लिए भुगतान	623595		623595	670168	0	670168
ञ) आर.आर.टी.एस. अध्ययन के लिए भुगतान	3363371	3363371	0	14640827	14640827	0
ट) बचत एवं सावधि जमा पर अतिरिक्त ब्याज की वापसी	0			0	0	0
VIII. इति शेष						
क) हाथ में रोकड़	8000	8000	0	13303	13303	0
ख) बचत खाते में बैंक शेष	276106557	276106557	0	5706126076	5706126076	0
ग) पी.एफ. बचत खाते में बैंक शेष	3014840	3014840	0	1535736	1535736	0
घ) एन.पी.एस. बचत खाते में बैंक शेष	0	0	0	838	838	0
कुल	77361567167	76973358094	388209073	119116869685	119034978355	81891330

ह/-
सहायक निदेशक (वित्त) डीडीओ

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव



अनुसूची-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<u>रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पूँजी निधि)</u>		
वर्ष के शुरु में शेष	40724441448	36063641917
जोड़ें: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अंशदान	500000000	500000000
जोड़ें: व्यय पर निवल आय से अंतरण	1814386622	2811799531
जोड़ें: बी.आर.आर. से अंतरित	5000000000	1349000000
वर्ष समाप्ति पर शेष	48038828070	40724441448

अनुसूची-2

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<u>विशेष आरक्षित</u>		
1. बांड विमोचन (रिडम्सन) रिजर्व		
पिछले लेखों के अनुसार	3790000000	4109100000
वर्ष के दौरान जमा	1210000000	1029900000
घटाएं: रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड निधि फंड में कर योग्य बांड के विमोचन के पश्चात् अंतरित	(5000000000)	(1349000000)
वर्ष समाप्ति पर शेष	0	3790000000

ह/-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

निर्धारित/बंदोबस्ती (एंडोमेंट) निधि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) क्षेत्रीय त्वरित टंजिट प्रणाली (आर.आर.टी.एस.) गलियारों के लिए डी.पी.आर. तैयार करने हेतु अध्ययन के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	1400	(9584273)
जोडे: वर्ष के दौरान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	3363371	24226500
उप योग	3364771	14642227
(ख) आरआरटीएस/अध्ययन हेतु किया गये व्यय		
- परामर्शदाता को आर.आर.टी.एस. अध्ययन हेतु दिया गया शुल्क	3363371	14640827
वर्ष समाप्ति पर निवल शेष (क- ख)	1400	1400

अनुसूची - 4

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

सुरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निजी स्थापित बांड		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2020) सिरीज-1	0	5000000000
योग	0	5000000000

अनुसूची-5

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

असुरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण	3724130892	3788790810
ख) के.एफ.डब्लू (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी) से ऋण	4437620119	4110591392
योग	8161751011	7899382202

ह/-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
चालू देयताएं और प्रावधान		
सांविधिक देयताएं :		
1. सामान्य भविष्य निधि	36956268	31808088
3. जी.आई.एस. निधि	1425	2055
4. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूलियां	85116	76372
5. ठेकेदारों/व्यवसायियों/स्टाफ से श्रोत पर कर (टी.डी.एस.) की कटौती	415555	24726800
6. अति देय	202500	202500
7. एनपीएस/सी.पी.एफ. / बोर्ड का अंशदान	45121	94140
उप-योग	37705985	56909955
उधार पर उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं:		
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2020) सीरीज I	0	288936986
2. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण पर ब्याज जमा	9749298	7717767
3. के.एफ.डब्ल्यू (जर्मन बैंक) से ऋण पर ब्याज जमा	20557606	18543077
उप-योग	30306904	315197830
अन्य चालू देयताएँ		
1. देय खर्चे	5761518	5734886
2. बयाना	496965	496965
3. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) से ऋणों पर अधिक प्राप्तियां	682960	682960
4. अग्रिम ब्याज प्राप्ति	122055	0
उप-योग	7063498	6914811
प्रावधान		
1. कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए		
क) ग्रेच्युटी	27601342	27143602
ख) पेंशन (वर्तमान)	4923819	5009183
ग) पेंशन (सेवा निवृत्त)	280535914	230137728
घ) संचित छुट्टी नकदीकरण	23436007	23388363
ड:) चिकित्सकीय लाभ (वर्तमान)	581342	0
च) चिकित्सकीय लाभ (सेवा निवृत्त)	42351607	0
उप-योग	379430031	285678876
2. रा.रा.क्षे. सेल हेतु देय व्यय का प्रावधान	36844145	31503570
उप-योग	36844145	31503570
3. अन्य प्रावधान		
क) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार	2769972	2829926
ख) केएफडब्ल्यू ऋणों पर गारंटी शुल्क	0	19656476
ग) अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान	0	537375750
उप-योग	2769972	559862152
कुल योग	494120535	1256067194

ह/-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

अनुसूची-7

(राशि ₹ में)

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्तियों का विवरण

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्य हास				सकल ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2017 को हासित मूल्य	180 दिन के पहले संवर्धन	180 दिन के बाद संवर्धन	वर्ष के दौरान कुल संवर्धन	वर्ष के दौरान विक्रय/हस्तांतरण	वर्ष की समाप्ति पर लागत/मूल्यांक न	दरें (%)	वर्ष के शुरू के अनुसार	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष की समाप्ति पर कुल योग	दिनांक 31.03.2018 को हासित मूल्य	दिनांक 31.03.2017 को हासित मूल्य
कार्यालय स्थान आईएचसी	4137052	0	0	0	0	4137052	10%	413705	0	413705	3723347	4137052
वाहन	1168673	0	0	0	0	1168673	15%	175302	0	175302	993371	1168673
फर्नीचर/फिक्सचर	589660	103218	92188	195406	0	785066	10%	58965	14931	73896	711170	589660
कार्यालय उपकरण	976549	3995	81848	85843	0	1062392	15%	146481	6738	153219	909173	976549
कम्प्यूटर/पेरीफरल	447967	0	1290499	1290499	0	1738466	60%	268781	387150	655931	1082535	447967
पुस्तकालय की पुस्तकें	11168	7140	17034	24174	3938	31404	60%	6701	9394	16095	15309	11168
वार्षिक प्रकाशन/संदर्भ पुस्तकें उप-योग (घ)	752	0	0	0	0	752	100%	752	0	752	0	752
कुल	11920	7140	17034	24174	3938	32156		7453	9394	16847	15309	11920
	7331821	114353	1481569	1595922	3938	8923805		1070687	418213	1488900	7434905	7331821
पूर्ववर्ती वर्ष	8241660	73137	460058	533195	6000	8768855		1338872	98162	1437034	7331821	8241660

ह/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश -अन्य		
(क) भविष्य निधि निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियां	3411385	3411385
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक में एफडीआर)	30100000	26924322
3. डिबैंचर्स और बांड	0	0
4. अन्य		
भविष्य निधि निवेश पर जमा ब्याज	339833	539991
सेविंग बैंक में जमा राशि	3014840	1535736
उप-योग	36866058	32411434
(ख) नई पेंशन स्कीम		
सेविंग बैंक में जमा राशि	0	838
उप-योग	0	838
(ग) सेवानिवृत्ति लाभ निधि		
बैंक में सावधि जमा	277034342	142000000
निवेश पर जमा ब्याज	10261867	9452804
उप योग	287296209	151452804
सकल योग	324162267	183865076

31.3.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश - योगदान		
निवेश-एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में योगदान	50000000	50000000
सकल योग	50000000	50000000

ह/-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:		
1. रा.रा.क्षे. पुस्तकों और प्रकाशन का स्टॉक	251489	263042
2. लेखन सामग्री का स्टॉक	359030	198993
3. विविध देनदार:		
क) 6 माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण	0	98361
ख) अशोधय और संदिग्ध ऋण	98361	0
उप-योग	708880	560396
4. हाथ में नकद शेष	0	13303
5. बैंक बैलेंस		
अनुसूचित बैंकों के पास:		
- बचत खाता/चालू खाता	276106557	5706126076
- पूर्वदत्त कार्ड (कोपरिशन बैंक)	8000	0
- निवेश (एफडीआर) - बीआरआर	0	3790000000
- निवेश (एफडीआर) - अन्य	11490000000	17850000000
उप-योग	11766114557	27346126076
कूल (क)	11766823437	27346699775
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण:		
क) स्टाफ को अग्रिम	1950	11810
ख) अन्य अग्रिम		
i) यात्रा अग्रिम	102040	70549
ii) एलटीसी अग्रिम	95855	19000
iii) विविध अग्रिम	67524	48216
उप-योग	265419	137765
ग) राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियां	42338105164	28925864907
2. वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि		
क) पूर्वदत्त व्यय	697805	638838
ख) वसूली योग्य अग्रिम आयकर, एफ.बी.टी. और स्रोत पर कर (टीडीएस) (कर का निवल प्रावधान)	725242870	673654717
ग) सेमिनार/बैठक अग्रिम	219600	177600
घ) अन्य (एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमानत)	26648	26648
ड) प्राप्त होने वाला आरटीआई शुल्क	380	140
उप-योग	726187303	674497943
3. अर्जित आय		
क) सावधि जमा पर अर्जित किन्तु अप्राप्य ब्याज.	128187886	618407671
ख) कार्यान्वयन एजेंसियों व राज्यों को दिए ऋण पर अर्जित ब्याज	1338919616	856315839
ग) स्टाफ ऋण पर अर्जित ब्याज	332532	584664
घ) बचत खाते पर अर्जित ब्याज	14280537	6174973
उप-योग	1481720571	1481483147
कूल (ख)	44546280407	31081995572
कूल (क+ख)	56313103844	58428695347

ह/-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2018 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

अर्जित ब्याज		वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पूँजी			
1	सावधि जमा पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	995948235	2205488995
ख)	गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग)	संस्थानों के पास	0	0
घ)	अन्य	0	0
2	बचत खातों पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	87334090	75318476
ख)	गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग)	डाकघर बचत खाते	0	0
घ)	अन्य	0	0
3	ऋणों पर:		
क)	राज्य सरकार/उनके अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज	2610193070	1584539667
ख)	कर्मचारियों/स्टाफ को दीर्घ अवधि ऋणों पर ब्याज	0	1816
ग)	राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण पर दंडस्वरूप ब्याज	614217	485327
कुल		3694089612	3865834281

अनुसूची-12

(राशि ₹ में)

अन्य आय		वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पूँजी			
क)	विविध आय	0	15000
ख)	अत्यधिक प्रावधान	1207410	5916128
ग)	अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदान का प्रावधान (वापस लिखा गया)	537375750	605146000
घ)	राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए ऋण का पूर्व भुगतान शुल्क	3302159	0
उप-योग		541885319	611077128
आय			
ड:	पी.एफ./एन.पी.एस./सेवा निवृत्ति लाभ के निवेश पर आय		
	पीएफ निवेशों पर ब्याज	1831580	2168141
	सेवा निवृत्ति निधि के निवेश पर ब्याज	11796572	10573260
	पीएफ के बचत खातों पर ब्याज	92256	93730
	एनपीएस बचत खातों पर ब्याज	9	32
च)	भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	7700	2900
छ)	स्टाफ कार के प्रयोग पर वसूली	8909	10643
ज)	आरटीआई शुल्क	3763	4726
झ)	विविध आय	1340	3100
उप-योग		13742129	12856532
कुल		555627448	623933660

ह/-
स. निदेशक(वित्त)/डीडीओ

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.3.2018 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पंजी		
क) वेतन और मजूदरी (आंतरिक जमा से भुगतान)	9212396	8280219
अन्य		
ख) एनसीआर क्षेत्र प्रकोष्ठों पर व्यय का प्रावधान	36844145	31503570
उप-योग	46056541	39783789
आय		
वेतन	27175421	21336293
भत्ते एवं बोनस	11468098	17339880
एनपीएस में योगदान	529455	764308
अन्य		
लीव सैलरी एवं पेंशन योगदान	878187	1048626
जीपीएफ खाते पर ब्याज	2511685	2372471
भर्ती व्यय	122833	185739
संपदा निदेशालय को दिया गया लाइसेंस शुल्क	397030	434036
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	50090	85464
प्रावधान		
ग्रेचुइटी का प्रावधान	1713904	13067763
संचित अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	816224	8766858
पेंशन (वर्तमान) का प्रावधान	5193768	5647597
पेंशन (सेवा निवृत्त) का प्रावधान	52240062	92494419
चिकित्सकीय लाभ (वर्तमान) का प्रावधान	581342	0
चिकित्सकीय लाभ (सेवा निवृत्त) का प्रावधान	42351607	0
उप-योग	146029706	163543454
कुल	192086247	203327243

ह/-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.3.2018 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

		(राशि ₹ में)	
अन्य प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	
पूंजी			
क) एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन की लागत	0	0	
ख) अध्ययन और सर्वेक्षण	2317600	3928442	
ग) विज्ञापन और प्रचार	99769	240016	
घ) बोर्ड/अन्य बैठकों पर हुआ व्यय	1377882	949964	
ड) अंकेक्षण शुल्क - एडीबी/केएफडब्ल्यू परियोजनाओं पर	345785	199275	
च) संगोष्ठी और प्रशिक्षण	20600	0	
छ) प्रोफेशनल शुल्क	2791971	2768974	
ज) यात्रा प्रभार (योजना)	200476	422894	
झ) हाउस कीपिंग सेवाएँ	3089390	0	
उप-योग	10243473	8509565	
आय			
विद्युत एवं जल प्रभार	202653	230721	
हाउस्कीपिंग/सिक्युरिटी प्रभार	879077	2773558	
मरम्मत एवं रखरखाव	2840998	1108433	
किराया, दर एवं कर	377645	1725882	
वाहन चलाने और रखरखाव	377574	392323	
डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	1074815	840759	
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	737407	546961	
यात्रा और वाहन व्यय	577235	1066772	
संगोष्ठी/कार्यशाला/बैठक पर खर्च	51000	115062	
कानूनी शुल्क पर खर्च	599455	293750	
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	354085	231016	
आतिथ्य व्यय	284874	227818	
प्रोफेशनल शुल्क	1660411	1118120	
अन्य	408590	77128	
उप-योग	10425819	10748303	
कुल	20669292	19257868	

ह/-


सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

बाजार उधारी पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पंजी		
क) बॉन्ड पर ब्याज	148630126	478591655
ख) लिस्टिंग शुल्क	34500	68700
ग) रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट प्रभार	0	22815
घ) ट्रस्टीशिप फीस	9532	25000
ड) पीएमसी सेवाओं पर व्यय	5478711	6012350
च) रेटिंग एजेंसियों की निगरानी फीस	438208	1188539
छ) एनएसडीएल/सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियल फीस	172500	171750
ज) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर ब्याज	142174394	87504625
झ) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	11718047	13436374
ञ) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर विनिमय दरों में अंतर	672404472	(287838546)
ट) एनएसडीएल/सीएसडीएल प्रभार	2883	2063
ठ) भूगतान पर बैंक प्रभार (डाक एवं अन्य)	70842	31830
ड) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋण पर गारंटी शुल्क	75136111	47759688
कुल	1056270326	346976843

31.3.2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

पूर्ववर्ती व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एनसीआर सेल पर व्यय	1805470	2192096
ख) प्रोफेशनल शुल्क	0	86876
कुल	1805470	2278972

ह/-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.3.2018 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियाँ।

1. लेखा संविद :

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत पद्धति और प्रोद्घवन लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक नीचे वर्णित लेखा प्रणाली नीतियों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बोर्ड के खातों को लेखापरीक्षा के प्रमुख निदेशालय, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार "केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप" में बनाया गया है। वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नजदीकी मूल्य तक पूर्णांकित किया गया है।

ग) सन्युक्त सचिव डीईए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के डी.ओ.सं. 3(4)-B(S)/2016 दिनांक 24.10.2016 के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 02.11.2016 के पत्रांक 6/15/2016-DDVI के अनुसार वर्ष 2017-18 में लागू किए गए योजना-गैर योजना विलय के कारण प्रत्येक योजना और गैर-योजना लेनदेन के लिए अलग आय और व्यय का अभ्यास बंद कर दिया गया है। योजना और गैर-योजना के खाता शीर्षों को क्रमशः पूंजी और राजस्व के रूप में दिखाया जा रहा है।

2. आय निर्धारण

सभी मदों की आय का निर्धारण प्रोद्घवन लेखा प्रणाली के आधार पर किया गया है।

3. व्यय की मान्यता

क) कर्मचारियों के वैयक्तिक दावों/प्रतिपूर्तियों, जो नकद में लिए जाते हैं, के अलावा सभी व्ययों को प्रोद्घवन आधार पर लिया गया है;

ख) सभी पूर्व अवधि व्यय तथा पूर्वदत्त व्यय जिनको इस वर्ष के खर्चों में मिला दिया था उन्हें भी अलग कर पृथकशीर्ष (मद) के अंतर्गत दिखाया गया है।

4. अचल परिसम्पत्ति:

क) अचल परिसम्पत्तियाँ मूल्यहास घटाने के पश्चात हासित मूल्य पर बताई गई है;

ख) वर्ष के दौरान किसी भी परिसम्पत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया

5. अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार हासित मूल्य पद्धति से प्रभारित किया गया है। मूल्यहास आय-व्यय लेखा में प्रभारित किया गया है। सभी अचल सम्पत्तियों को वित्त वर्ष 2017-18 में आयकर नियमों के अनुसार पुनःसमूहित किया गया तथा मूल्यहास की दर अनुसूची 7 में दर्शायी गई है।

6. सेवा निवृत्ति लाभ:

क) बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बीमांकिक आधार पर एनसीआरपीबी कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् अर्जित अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन तथा चिकित्सा सम्बंधी सुविधाएँ/लाभ के लिए आवश्यक प्रावधान 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखों तथा तुलन पत्र में किए गए हैं। वार्षिक प्रावधान, बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से तैयार किए जाते हैं। लेखा सिद्धांत-15 के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत पेंशन के प्रावधान को पेंशन (वर्तमान) और पेंशन (गैर-वर्तमान) में 12 माह में देय तथा 12 माह के उपरांत देय के लिए विभाजित किया गया है।

ख) बोर्ड सामान्य भविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। संगत वर्ष में भविष्य निधि संबंधी ब्याज की देनदारियां राजस्व से प्रभारित की गई है और बोर्ड के भविष्य निधि खाते में अंतरित की गई है।

ग) नई पेंशन योजना निधि:

सरकार ने 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नई भर्ती वालों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की है। इसके तहत कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है और इतना ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार नई पेंशन योजना निधि का सृजन राष्ट्रीयकृत बैंक में मासिक अंशदान को रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 से हुई है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, ने दिनांक 17.08.2009 के का.जा. द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे कि एनपीएस की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप में नेशनल स्क्रियरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई में पंजीकृत किया जाए। इसके अनुपालन में, सितम्बर 2009 में नेशनल स्क्रियरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड में आवश्यक पंजीकरण कराया गया। नेशनल स्क्रियरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार, एनपीएस की परिधि में आए बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीएस निधियां नेशनल स्क्रियरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड को अंतरित की गई हैं। बोर्ड कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि को नेशनल स्क्रियरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई को भेज रहा है। बोर्ड के

कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस निधि का रख-रखाव अब नेशनल स्क्रियूरीटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई द्वारा किया जा रहा है।

घ) सामूहिक बीमा देनदारियां

बोर्ड ने वर्ष 2005-06 के दौरान एलआईसी से सामूहिक बीमा योजना नामक एक पॉलिसी ली है तथा ऐसे किसी दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से एलआईसी को ₹6,91,873/- अंतरित किए हैं। बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौतियां कर रहा है और उसे प्रतिमाह एलआईसी को भेज रहा है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र के समय उनका दावा एलआईसी को ब्याज बचत लाभों तथा बीमा कवर, जहां भी लागू हो, के लिए भेजा जाता है।

7. इवेंटरी :

(क) एनसीआर पुस्तकें एवं प्रकाशन :- बेची गई और मानार्थ प्रति के रूप में निशुल्क वितरित की गई एनसीआर पुस्तकों एवं प्रकाशनों की लागत आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित की जाती है तथा पुस्तकों के क्रय से प्राप्त राशि को एनसीआर पुस्तकों और प्रकाशनों से प्राप्त आय के रूप में दर्शाया जाता है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टॉक का लागत-मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

ख) वित्त वर्ष की समाप्ति पर शेष स्टेशनरी का लागत मूल्य पर मूल्यांकन तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है।

8. अध्ययन & सर्वेक्षण:

अध्ययन और सर्वेक्षणों पर होने वाले सभी व्यय (निर्धारित निधि से किए गए अध्ययन व्ययों को छोड़कर) आय-व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित किए जाते हैं।

9. निर्धारित / एंडोमेंट निधि:

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (भूतपूर्व शहरी विकास मंत्रालय) ने अपने पत्र दिनांकित 09.03.2010 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है कि आरआरटीएस के तीन कोरीडोर के डीपीआर बनाने हेतु अध्ययन का वित्त पोषण मंत्रालय की अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग योजना की निधि से किया जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (शहरी विकास मंत्रालय) से आरआरटीएस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त निधि को निर्धारित निधि के अंतर्गत दिखाया गया है।

10. एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ :

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एनसीआर प्रकोष्ठ पर व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित एनसीआर प्रकोष्ठ/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के पश्चात एनसीआरपीबी द्वारा संबंधित राज्य सरकार को की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति

के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं और वित्तीय वर्ष के लेखों में उचित प्रावधान किया जाता है, तथा अगर ये दावे वित्त वर्ष के समाप्ति के बाद प्राप्त किए जाते हैं तो इसके लिए एन.सी.आर. प्रकोष्ठों से प्राप्त विगत दावों के आधार पर अपेक्षित प्रावधान किया जाता है।

11. आयकर:

उपयुक्त आयकर प्राधिकरण अर्थात् वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट) नई दिल्ली के आदेश संख्या डीजीआईटीई(ई) 10(23सी)(iv)/2008 दिनांक 02.5.2008 के द्वारा एनसीआरपीबी आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23सी)(iv) के उप खण्ड(iv) के अंतर्गत आयकर देने से छूट प्राप्त है। इसे देखते हुए बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।

12. अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अनुदान:

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा दिनांक 22.03.2012 को संपन्न अपनी 32वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था कि रा.रा.क्षे. तथा समसुविधा संपन्न क्षेत्रों में संस्वीकृत जल, सीवरेज तथा जल निकासी की परियोजनाओं की लागत की 15% तक राशि बोर्ड अनुदान के रूप में प्रदान करेगा। जल, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर की सभी परियोजनाएं जो पीएसएमजी (PSMG) द्वारा 01.04.2012 तथा इसके बाद 46वीं बैठक (04.08.2011 को संपन्न) के बाद स्वीकृत की गई है, जिनमें 01.04.2012 तक ऋण राशि प्रदान नहीं गई है, अनुदान राशि पाने के योग्य हैं। ये अनुदान प्रतिपूर्ति रूप में परियोजना के पूर्ण होने तथा ऋण की अनुबंधित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, आय और व्यय खाते में वर्ष 2011-12 से 2016-17 के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए थे तथा 31.3.2018 तक कोई भी कार्यान्वयन एजेंसी अनुदान का दावा नहीं कर सकी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब तक कोई भी परियोजना अनुदान घटक के योग्य नहीं हो सकी इस कारण अभ्यास बदल दिया गया है और व्यय को अनुसूची 18 में आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है।

13. बाह्य मुद्रा में लेन देन:

बाह्य मुद्रा में हुए लेनदेन का लेखा लेनदेन की दिनांक की विनिमय दरों के अनुसार किया जाता है। बाह्य मुद्रा में लिए गए ऋण जैसे एडीबी से अमेरिकी डॉलर में तथा केएफइब्ल्यू से यूरो में लिए गए ऋण को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया जाता है तथा परिणामस्वरूप लाभ/हानि को आय में प्रभारित किया जाता है।

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

वित्त एवं लेखा
अधिकारी

सदस्य सचिव

दिनांक : 28 जून, 2018

स्थान : नई दिल्ली



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आकस्मिक देनदारियाँ :-

1. आकस्मिक देनदारियाँ

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान आय एवं व्यय खाता (योजना) में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदान हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए :-

(लाख □ मे)

शीर्ष/वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदान पर व्यय (प्रावधान)	350.00	1400.00	4049.63	5279.88	1187.90	12267.41
घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनः लिखा गया प्रावधान	0.00	0.00	558.77	283.43	6051.46	6893.67
तुलन पत्र में "वर्तमान देयताएँ & प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया निवल प्रावधान	350.00	1750.00	5240.86	10237.32	5373.76	5373.76

तदनुसार, पिछले वर्ष 2016-17 तक जल आपूर्ति और सीवरेज क्षेत्रों से संबंधित बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को देय अनुदान खातों में □5373.76 लाख का कुल प्रावधान किया गया था। परियोजना के पूरा होने और ऋण की निर्धारित शर्तों की पूर्ति के बाद प्रतिपूर्ति के आधार पर अनुदान दिया जाना है। चूंकि, इस अनुदान के लिए कोई परियोजना योग्य नहीं है और वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ और लेखा परीक्षकों ने लेखापरीक्षा के दौरान भी बताया कि देयता के रूप में अनुदान की मान्यता सही नहीं है। इसके संदर्भ में, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खातों में आवश्यक समायोजन किया गया है। ऊपर बताए अनुसार 31.3.2017 तक, आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए अनुदान के लिए □53,73,75,750/- का प्रावधान वर्ष 2017-18 के लिए आय और व्यय खाते में पुनः लिखा गया है।

तदनुसार, प्रबंधन की राय में पिछले वर्ष तक "आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए देय अनुदान" के रूप में □53,73,75,750/- की एक आकस्मिक देयता है। इसके अलावा,

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनुदान वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ₹115,16,16,000/- अनुमानित मूल्य की आकस्मिक देयता है। इस प्रकार, निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन 31.3.2018 तक “बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए देय अनुदान” की कुल आकस्मिक देयता ₹1,68,89,91,750/- है।

2. पूर्व अवधि व्यय:

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग द्वारा अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या डी.डी.-II/Annual/A/cNCRPB10-3/2012-13/489 दिनांकित 10.10.2013 में की गई समुक्तियों के आधार पर पूर्वअवधि व्यय को अलग से आय-व्यय लेखा में दिखाया गया है।

3. एनसीआर नियोजन एवं निगरानी सेल:

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एनसीआर सेल पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति सम्बंधित एनसीआर प्रकोष्ठ/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के पश्चात एनसीआरपीबी द्वारा सम्बंधित राज्य सरकार को की जाती है। चूंकि ये दावे वित्तवर्ष की समाप्ति और वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए एनसीआर सेलों से प्राप्त विगत वर्षों के दावों के आधार पर अपेक्षित प्रावधान किए गए हैं। 31.03.2017 तक देय एनसीआर सेल सम्बंधी व्यय के लिए ₹3,15,03,570/- का प्रावधान 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के तुलनापत्र की अनुसूची 6 में दर्शाया गया है।

ख) वर्ष 2017-18 में लेखों के माध्यम से निम्नलिखित समायोजन पारित किए गए:

- (i) हरियाणा सेल: हरियाणा सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2016-17 में ₹1,21,72,907/- का प्रावधान किया गया था परंतु इसकी तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 में ₹1,39,78,377/- का वास्तविक भुगतान किया गया। अतः ₹18,05,470/- की अतिरिक्त राशि को आय-व्यय खाते में पूर्व अवधि व्यय में प्रभारित किया गया है।
- (ii) उत्तर प्रदेश सेल: उत्तर प्रदेश सेल को वर्ष 2016-17 में देय व्यय के लिए ₹96,33,299/- का प्रावधान किया गया परंतु इसके विपरीत, वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 में प्रतिपूर्ति के लिए ₹84,25,889/- की रकम पास की गयी। अतः ₹12,07,410/- के अतिरिक्त प्रावधान को चालू वित्त वर्ष के आय एवं व्यय खाते में वापस लिखा गया है।
- (iii) राजस्थान सेल: राजस्थान सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2016-17 में ₹96,97,364/- का प्रावधान किया गया परंतु इसके विरुद्ध वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 में ₹96,97,364/- की राशि का वास्तविक भुगतान किया गया।
- (iv) दिल्ली सेल: वर्ष 2013-14 से दिल्ली सेल को देय व्यय हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि वर्ष 2009-10 से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) एनसीआर सेल व्यय के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में ₹3,68,44,145/- का निम्न रूप से प्रावधान किया गया है तथा उसे आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है :

राजस्थान - ₹ 96,97,364.00

उ.प्र.	-	□1,31,68,404.00
हरियाणा	-	□1,39,78,377.00
दिल्ली	-	शून्य
कुल	-	□3,68,44,145.00

दिनांक 31.3.2018 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखों की अनुसूची-6 के अनुसार एनसीआर सेलों को देय व्यय का कुल प्रावधान □3,68,44,145/- किया गया है।

4. आयकर:

बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(iv)के अंतर्गत कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 से दिनांक 2.5.2008 के आयकर आदेश के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। इसे ध्यान में रखते हुये वर्ष 2017-18 में बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर का प्रावधान नहीं बनाया गया है।

तथापि, वर्ष 2017-18 के लिये उधारकर्ता-अभिकार्यो (एजेंसियो)/बैंकों ने वर्ष के दौरान बोर्ड को दिए गए ब्याज भुगतान पर □5,15,88,153/- का टी.डी.एस. काटा है। इस राशि में दिनांक 31.03.2018 तक, बैंकों द्वारा काटा गया टीडीएस □4,60,25,665/- तथा पर उधारकर्ता एजेंसियों द्वारा ऋणों पर दिए गए ब्याज पर काटा गया टीडीएस □55,62,488/- शामिल है। तदनुसार, वर्ष 2017-18 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूची-10 में शीर्ष "अग्रिम और अन्य वसूली योग्य राशि" के तहत □5,15,88,153/- स्रोत पर कर कटौती के रूप में दर्शाया गया है। इसके लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 के अंतर्गत आकलन वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरते समय आयकर विभाग से दावा किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2007-08 से 2016-17 से सम्बद्ध अग्रिम आयकर/वसूली योग्य स्रोत पर आयकर कटौती (प्रावधान का निवल) की □67,36,54,717/- की राशि बोर्ड के 31.3.2017 को समाप्त वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई। एडवांस आयकर/टीडीएस वसूली योग्य (प्रावधान का निवल) □67,36,54,717/- वित्त वर्ष 2007-08 से 2016-17 तक 31.3.2017 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड की बैलेंस शीट में दिखाया गया था। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, उधार एजेंसियों/बैंकों द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड को ब्याज भुगतान पर □5,15,88,153/- का टीडीएस काटा गया था। तदनुसार, आयकर विभाग से 31.3.18 को □72,52,42,870/- की राशि वसूली योग्य है।

आकलन वर्ष 2008-09 से 2017-18 से सम्बंधित □67,36,54,717/- की लंबित धनवापसी के लिए आदेश पारित किया गया है और □16,66,46,060/- (26 एस के अनुसार) के लिए प्रारम्भ किया गया है। हालांकि, आकलन वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विभाग एमआईएस में प्रतिबिंबित मांग के मुकाबले इसे समायोजित किया गया है, जबकि आकलन वर्ष 2015-16 के लिए धारा 143(2) के अंतर्गत सहायक आयुक्त आयकर, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार के तहत जांच प्रक्रिया में है, और वास्तविक धनवापसी मूल्यांकन के समापन के बाद की जाएगी।

5. बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार:

(क) एशियाई विकास बैंक: दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार, एडीबी से उठाए गए बकाया ऋण/उधार (पुनर्भुगतान के बाद) 31.3.2018 को प्रचलित दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में \$57.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹372.41 करोड़) था। 2017-18 के दौरान एक्सचेंज रेट वैरिएशन पर ₹1.16 करोड़ की हानि, बकाया ऋण पर "बाजार उधार पर व्यय" के तहत दिखाया गया है और आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है।

(b) के.एफ.डब्ल्यू. (पूर्वानुसार जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी): दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार के.एफ.डब्ल्यू. से उठाया गया बकाया ऋण €59.36 मिलियन (₹411.06 करोड़) था, बोर्ड ने के.एफ.डब्ल्यू. से €5.68 मिलियन (₹43.80 करोड़) का नया ऋण लिया है। वित्त वर्ष 2017-18 में, के.एफ.डब्ल्यू. से बकाया उधार/ऋण (€10 मिलियन के पुनर्भुगतान के बाद) €55.04 मिलियन है और विदेशी मुद्रा दरों के मुकाबले प्रचलित समकक्ष ₹443.76 करोड़ है। बकाया ऋण पर 2017-18 के दौरान ₹66.18 करोड़ की विनिमय दर भिन्नता पर होने वाली हानि को "बाजार उधारी पर व्यय" के तहत दिखाया गया है और आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है।

6. स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय – पूंजी/योजना एवं आय/गैर योजना

अनुसूची 13 में स्थापना व्यय (पूंजी) शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए ₹92,12,396/- बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड के 10 कर्मचारियों को दिए गए वेतन के सम्बंध में है। ये 5 पद वर्ष 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत किए गए थे तथा इन पदों के लिए बोर्ड के आंतरिक जमा से व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त 5 अस्थाई पद आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र दिनांकित 27.1.2011 के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट विंग) के लिए सृजित किए गए हैं जिनके लिए बोर्ड की आंतरिक आय से व्यय किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, बोर्ड कार्यालय वार्षिक लेखों में दर्शाए अनुसार वर्ष 1999-2000 से इस व्यय को अपने आंतरिक प्रोदभवन से जमा कर रहा है तथा इसे आय-व्यय (पूंजी/योजना) में दर्शाया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा आय/गैर योजनागत शीर्ष के अंतर्गत स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय के लिए दिए गए बजट समर्थन के अलावा बोर्ड अपने आंतरिक प्रोदभवन से सभी खर्च पूर्ण करता है।

7. निवेश: ईक्विटी एनसीआर परिवहन निगम लि. में योगदान

एनसीआर परिवहन निगम के गठन के लिए कैबिनेट नोट को दिनांक 11.7.2013 को मंजूरी दी गई। दिनांक 1.8.2013 को संस्थापन प्रलेख और संस्था के अंतर्नियम हस्ताक्षरित किए गए और एनसीआरटीसी लिमिटेड को 21.8.2013 को निगमित किया गया। इसके अलावा, बोर्ड की 34वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों, आरआरटीएस परियोजनाओं के संरेखण सहित एनसीआरटीसी द्वारा देखे जायेंगे।

एनसीआरटीसी, ₹100 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ, आरआरटीएस कोरीडोर के डिजाइन, वित्त पोषण और कार्यान्वयन का स्वामित्व रखता है तथा इस प्रारंभिक कोष में निम्नलिखित अंशदान दिए जाने हैं :-

क्रम सं	इकाई / प्रमोटरों की प्रकृति	एनसीआरटीसी में हिस्सा (%)	रकम(करोड़ ₹ में)
1.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	22.5%	22.50
2.	रेल मंत्रालय, भारत सरकार	22.5%	22.50
3.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	12.5%	12.50
4.	उत्तर प्रदेश सरकार	12.5%	12.50
5.	हरियाणा सरकार	12.5%	12.50
6.	राजस्थान सरकार	12.5%	12.50
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5%	5.00
	कुल	100%	100.00

वित्त वर्ष 13-14 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड ने एन.सी.आर. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹5.00 करोड़ (5%) की इक्विटी शेयर में निवेश किया है जिसके अनुरूप एन.सी.आर. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ₹100 प्रत्येक मूल्य के 5,00,000 शेयर प्रमाण पत्र जारी किए हैं जो कि विशिष्ट प्रमाण पत्र संख्या 3 और 10 विशिष्ट संख्या के अनुसार 2501 से 2750 अर्थात् 250 इकाइयाँ और विशिष्ट संख्या 1754001 से 2253750 अर्थात् 4,99,750 इकाइयाँ, जो की सदस्य सचिव रा.रा.क्षे.योजना बोर्ड या निदेशक एन.सी.आर.टी.सी. के पक्ष में जारी हैं।

8. वर्तमान संपत्तियों के तहत खराब और संदिग्ध ऋण: ₹98,361.00 की राशि जिसे "छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण" के रूप में दिखाया गया था, अब "खराब और संदिग्ध ऋण" के तहत दिखाया गया है, जो 10 से अधिक वर्षों से अप्राप्य है।

9. राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण/अग्रिमों का बकाया शेष राशि दिनांक 31.3.2018 के स्थिति के अनुसार ₹42,33,81,05,164/- है, जैसा कि मौजूदा परिसंपत्तियों के अनुसूची-10 में दिखाया गया है। ऋण, अग्रिम शेष राशि रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड की उधार एजेंसियों की पुष्टि के अधीन हैं ।

10. आय एवं व्यय खाते तथा बैलेंस शीट में चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ें, जहां आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं ।

ह/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ
दिनांक : 28 जून, 2018
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव